Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

14.10.2022 आवेदिका वर्षा की ओर से श्री मोहन रघुवंशी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ.उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र पिपरिया से अपराध क्रमांक 280/22 अतंर्गत धारा 379 भा.द.वि. की केस डायरी मय प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन अतंर्गत धारा 451, 457 द.प्र.सं. पर आवेदक अधिवक्ता श्री मोहन रघुवंशी एवं ए.डी.पी.ओ. को सुना गया।

आवेदिका की आरे से व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा थाना पिपरिया में दिनांक 22–08–2022 को उसके हथवांस स्थित घर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने के दो जोड़ी कान के, एक छोटा मंगलसूत्र, बड़ी माला, नाक की नथ, चैन एवं चांदी की चैन, बच्चों की पायल, हाय, कर्धन आदि चुरा ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आवेदिका/फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र पिपरिया द्वारा उक्त सोने के दो जोड़ी कान के झाले, एक मिनी मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का पेण्डेन्ट जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा सोने की सामग्री आवेदिका के स्वामित्व की है और आवेदिका उसे अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहती है। आवेदिका द्वारा आवेदन के समर्थन में कार्तिक ज्वेलर्स के बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

सुपुर्दनामे आवेदन पर सुना गया।

आरक्षी केन्द्र पिपरिया से प्राप्त अपराध क्रमांक 280/22 अतंर्गत धारा 379 भा.द.वि. की केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

आरक्षी केन्द्र पिपरिया से प्राप्त केस डायरी अनुसार आवेदिका/फरियादिया श्रीमती वर्षा रघुवंशी द्वारा दिनांक 31–07–2022 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर से दो जोड़ी कान के, एक छोटा मंगलसूत्र, बड़ी माला, नाक की नथ, चैन एवं चांदी की चैन, बच्चों की पायल, हाय, कर्धन आदि चुरा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर आरक्षी केन्द्र पिपरिया के द्वारा अपराध क्रमांक 280/22 अतंर्गत धारा 379 भा.द.वि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के दौरान आरोपी शिवकुमारी मालवीय के कब्जे से उक्त सोने के दो जोड़ी कान के झाले, एक मिनी मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का पेण्डेन्ट जप्त की गई है।

पुलिस प्रतिवेदन अनुसार जप्तशुदा सामग्री की पहचान कार्यवाही आवेदिका/फरियादिया श्रीमती वर्षा रघुवंशी से कराई जा चुकी है, जिसमें फरियादिया वर्षा रघुवंशी ने सोने के सुई धागा वाले कान के, सोने के नग वाले कान के, एक मिनी मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का पेण्डेन्ट, सोने के 16 मोती की पहचान की है। आवेदिका की ओर से कार्तिक ज्वेलर्स के बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। आरक्षी केन्द्र पिपरिया की ओर से

(कुसुम [illegible] चक्रवर्ती)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पिपरिया जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

ORDER SHEET(condt)

Case No-----------of -------

Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature or Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रस्तुत प्रतिवेदन में उक्त जप्तशुदा सामग्री आवेदिका को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने में कोई आपत्ति न होने का लेख किया गया है। आरोपी की ओर से भी उक्त सामग्री आवेदिका को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। आवेदिका की ओर से उक्त जप्तशुदा सामग्री उसके स्वामित्व की होना बताते हुए उसे अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का निवेदन किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई वि0गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 2003 एस.सी. 638 में वाहन/जप्तशुदा सामग्री सुपुर्दगी के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। जिसके अनुसार आरक्षी केन्द्र में पड़े रहकर खराब होने से बेहतर यह है कि उक्त सम्पत्ति को उचित अभिधारी को सशर्त प्रदान कर दिया जावे। अतः उपरोक्त तथ्य और परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 दं0प्र0सं0 स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदिका की ओर से सोने के सुई धागा वाले कान के, सोने के नग वाले कान के, एक मिनी मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का पेण्डेन्ट, सोने के 16 मोती को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त करने बाबत 50,000/-(पचास हजार) रूपये का सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तो के अधीन पेश किया जावे तो जप्ती पत्रक अनुसार जप्तशुदा सोने के सुई धागा वाले कान के, सोने के नग वाले कान के, एक मिनी मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का पेण्डेन्ट, सोने के 16 मोती आवेदिका को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान की जावे। शर्तेः- 1. आवेदिका सुपुर्दगी पर प्राप्त सोने के सुई धागा वाले कान के, सोने के नग वाले कान के, एक मिनी मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का पेण्डेन्ट, सोने के 16 मोती के रंगरूप में कोई परिवर्तन नही करेगी और न ही उक्त आभूषणों को विकय या हस्तांतरित करेगी । 2. न्यायालय द्वारा साक्ष्य के दौरान या आवश्यकता पड़ने पर स्वयं के व्यय पर उक्त सोने की सामग्री न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। 3. आरक्षी केन्द्र प्रभारी जप्तशुदा सोने की सामग्री के विभिन्न कोणों से फोटोग्राफ लेकर प्रकरण में प्रस्तुत (कुसुमहर चक्रवर्ती) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, जिला – नर्मदापुरम (म.प्र.)	केप प्रति मय अपील स्पष्ट RS